

18-7-22

पद्मनारायण के मध्यराजिनामा हो जाने पर बाद
 जो विद्रोह किए जाने हेतु विवेकन बिष्णु जो प्रामेय
 पाईल है वादी के वकील के प्रार्थनापत्र पर वादी
 वकील को सुना जाकर पत्तावली का इवलापन
 किया जायगा। मजबूत किया गया। न्यूनी वादी वकील
 को मद्मनारायण के मध्यराजिनामा हो जाने पर बाद
 जो विद्रोह किए जायें चाहते हैं जिस पर प्रतिवादी
 वकील को भी जो आवेदनशन है।

अतः वादी का वाद वादी वकील द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना
 पत्र स्वीकार किया जायगा अन्तर्गत धारा 188 असे. ऐ
 विद्रोह प्रार्थनापत्र पर कोरेज किया जाता है।
 पत्तावली के सब शुमार हेकर वकील से नाम होना
 दाखिल करवा दे। निर्णय बुले न्यायालय में सुनाया
 गया।

अध्यक्ष अधिकारी।
 साँभर लेख

